पटना, 27 सितंबर 2013 दैनिक जागरण

विज्ञापन होर्डिंग्स को ले सख्त हुआ निगम

- नई विज्ञापन नियमावली हुई प्रभावी
- अब टेंडर से मिलेगा होर्डिंग्स का स्थान, राजनीतिक दलों लिए भी अनुमति जरूरी

जागरण संवाददाता, पटना : पटना नगर निगम बैनर और होर्डिंग्स को ले सख्त हो गया है। गुरुवार को निगम आयुक्त ने नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा जारी (विज्ञापन एवं सदृश्य अन्य युक्तियों के प्रदर्शन एवं प्रयोग संबंधी अनुज्ञा विनियम 2012) का हवाला देते हुए विज्ञापन एजेंसियों को सख्त निर्देश जारी किए।

निगम आयुक्त ने नियमावली का हवाला देते हुए कहा है कि अब किसी भी प्रकार के विज्ञापन की स्वीकृति तभी मिल सकेगी जब एजेंसियां नियमों का पूरा-पूरा पालन करेंगी। एजेंसियों द्वारा आवेदन दिए जाने के बाद नियमानुसार उनकी जांच होगी और शर्तों के आधार पर एजेंसियों को विज्ञापन लगाने की अनुमति होगी। विज्ञापन में एजेंसियों को अपनी अनुज्ञप्ति संख्या, वैधता और जिसके नाम अनुज्ञप्ति है उसका पूरा विवरण दर्ज करना होगा। निगम की संपत्ति पर यदि कोई एजेंसी होर्डिंग-बैनर लगाना चाहती तो उसे निविदा के माध्यम से ही ऐसा करने की अनुमति होगी। नियमावली को आधार बनाते हुए निगम आयुक्त ने राजनीति दल, धार्मिक संस्थान, शैक्षणिक संस्थान एवं निजी व्यक्तियों के भी कायदे में बांधते हुए जारी आदेश में लिखा है कि इन्हें भी अपने विज्ञापन या होर्डिंग्स लगाने के लिए निगम को आवेदन देना होगा। जिसकी जांच होगी और निगम की अनुमति के बाद ही इसकी अनुमति होगी।

31 अक्टूबर तक एजेंसी हटाएं अपने विज्ञापन

पटना : नगर निगम की संपत्ति पर जिन विज्ञापन एजेंसियों ने होर्डिंग्स या विज्ञापन प्रदर्शित कर रखे हैं उन्हें निगम ने 31 अक्टूबर तक की मोहलत दी है। एजेंसियों से कहा गया है कि उक्त तिथि तक अपने विज्ञापन हटा लें। एजेंसी यदि ऐसा नहीं करती हैं तो निगम स्वयं उसे हटा देगा और इसमें यदि कोई नुकसान हुआ तो इसकी जिम्मेदारी विज्ञापन एजेंसी की होगी। एजेसियों को नई होर्डिंग्स लगाने या विज्ञापन की अनुमति पुराना बकाया चुकाने के बाद ही मिल सकेगी।

विज्ञापन कोषांग का किया गया गठन

पटना : विज्ञापन से जुड़े आवेदन या शिकायत की सुनवाई के लिए निगम में एक विज्ञापन कोषांग का गठन किया गया है। आवेदकों के लिए निगम मुख्यालय के ग्राउंड फ्लोर पर काउंटर स्थापित किया है। अपर नगर आयुक्त राजस्व की अध्यक्षता गठित कोषांग में सदस्य के रूप में ललन प्रसाद, संतोष कुमार, कुमार कामाख्या, शम्भू कुमार और दीपक कुमार शामिल हैं।